सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वस्त्र मंत्रालय / MINISTRY OF TEXTILES
विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय
OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF HANDLOOM TECHNOLOGY
चौखा रोड़, चौखा, जोधपुर–342001
CHOKHA ROAD, CHOKHA, JODHPUR - 342001
Phone No.: 0291- 2757480, 2757115, Fax: 2757481
E-mail: iiht_jodhpur@rediffmail.com

पत्रांक सं. आई.एच.टी.जे. / कार / बस / एलपीजी / 201 दिनांक: 10.03.2022

सेवा में,
श्रीमान् सहायक निदेशक
कार्यालय विकास आयुक्त हथकरघा
वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
नई दिल्ली – 110011

विषय :– संस्थान की पुरानी कार नीलामी के नियम, शर्तें एवं अनुलंग्नक को वेबसाईट (www.handlooms.nic.in) पर अपलोड करने बाबत्।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे निवेदन है कि संस्थान की पुरानी एम्बेसडर कार RJ19 1C0426 की नीलामी की जानी है जिसके लिए नीलामी के नियम, शर्तें एवं अनुलंग्नक को विकास आयुक्त हथकरघा की वेबसाईट (www.handlooms.nic.in) पर अपलोड की जानी हैं जो साथ में संलग्न हैं। नीलामी विज्ञापन का प्रकाशन दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12.03.2022 को जोधपुर संस्करण में प्रकाशित किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि नीलामी के नियम, शर्तें एवं अनुलंग्नक को वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

भवदीय,

10.03.22

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

डॉ शिवज्ञानम के.जे.
निदेशक

नीलामी के नियम व शर्ते

1. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.H.T.), नयापुरा चौखा, जोधपुर को अनुपयोगी एक एम्बेसडर कार मॉडल 1997 जहां है जैसी हैं के आधार पर खुली लोक नीलामी दिनांक 24.03.22 को सुबह 11 बजे समिति द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.H.T.) जोधपुर के परिसर में की जायेगीं।
2. खुली नीलामी में वाहन की प्रारंभिक बोली न्यूनतम 15000रू. से शुरू की जायेगीं।
3. उपरोक्त वाहन का निरीक्षण दिनांक 21.03.2022 से 23.03.2022 (समय 10.30 से दोपहर 1.00 बजे) के बीच I.I.H.T. जोधपुर में किया जा सकता हैं।
4. वाहन पर लगने वाले समस्त कर जीएसटी, इन्श्योरेन्स, रजिस्ट्रेशन/नाम परिवर्तन के व्यय और अन्य सभी खर्च खरीददार को वहन करने होंगे। I.I.H.T. जोधपुर की ओर से कोई खर्चा वहन नहीं किया जायेंगा।
5. बोलीदाता को नीलामी के समय रू. 6000/— (छः हजार रूपयें) नगद/डिमांड ड्राफ्ट (In favour of **The Senior Accounts Officer, PAO (Textiles) New Delhi**) द्वारा धरोहर राशि के रूप में IIHT जोधपुर में जमा करवानी होगीं तथा उच्चतम बोलीदाता को प्रस्तावित राशि (धरोहर राशि को शामिल करते हुए) नीलामी समाप्ति पर जमा करवानी होगी शेष बोली दाताओं की धरोहर राशि लौटा दी जायेंगी।
6. किसी बोलीदाता को बीच में बोली से हटने का अधिकार नहीं होगा। अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेंगी।
7. सफल बोलीदाता को अपने निवास सम्बंधी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी दिखाने एवं कॉपी देने पर ही वाहन की सुपुदर्गी की जायेंगी।
8. उच्चतम बोलीदाता यदि बिक्री राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जायेंगी।
9. शपथ पत्र एवं सभी आवश्यक प्रपत्र (आरटीओ नियमानुसार) बोलीदाता को 48 घंटे के भीतर अपने खर्च पर तैयार करवाने पर ही वाहन को ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेंगी।
10. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. किसी प्रकार के संशय/वाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक (संस्थान)
भा.ह.प्रौ. संस्थान जोधपुर